कैलिफोर्निया के डेटा गोपनीयता कानून

लेखक - करिश्मा मेहरोत्रा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

07 जनवरी, 2020

"यह उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कंपनियों द्वारा इनके डेटा का उपयोग करने के तरीके पर नए नियंत्रण प्रदान करता है। इस आलेख में हम जानेंगे कि इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, जिससे कैलिफोर्निया से परे उपयोगकर्ता भी प्रभावित होंगे? साथ ही यह भी जानेंगे कि इस कानून की तुलना भारत में गोपनीयता के लिए प्रस्तावित विधेयक से कैसे की जा रही है।"

कैलिफोर्निया का नया गोपनीयता कानून (कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम (CCPA) अपनी तरह का पहला डेटा कानून है। जैसा कि उपयोगकर्ताओं के डेटा को प्रौद्योगिकी समूह द्वारा तेजी से उपयोग किया जा रहा है, यह कानून जो 1 जनवरी को प्रभावी हो गया है, यह कैलिफोर्निया को इस बात पर नया नियंत्रण प्रदान करता है कि कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं के डेटा का उपयोग कैसे करेंगी।

इन नियंत्रणों में डेटा तक पहुँचने का अधिकार, इसे डिलीट करने के लिए पूछने का अधिकार और तीसरे पक्ष को इसकी बिक्री करने से रोकने का अधिकार शामिल है। गौरतलब है कि इंटरनेट की वैश्विक प्रकृति के कारण ये परिवर्तन दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेंगे।

अब सवाल उठता है कि "आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिससे उपभोक्ताओं को हजारों विशाल निगमों से उनकी जानकारी पर नियंत्रण वापस लेने का अधिकार मिल रहा है। यह सब कुछ शक्ति से संबंधित है अर्थात जितना अधिक कंपनी आपके बारे में जानेगी, उतना ही अधिक शक्ति इसके पास आपके दैनिक जीवन को आकार देने के लिए होगी।

शुरुआत में इस शक्ति का प्रयोग सभ्य तरीके से स्पेक्ट्रम पर किया जाता है, जैसे कि आपको एक जूता विज्ञापन दिखाया जाएगा, आपसे आपकी नौकरी के बारे में जाना जाएगा, आपके आवास के बारे में जाना जाएगा या फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि आप किस उम्मीदवार का समर्थन करने में दिलचस्पी रखते हैं।

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (ड्राफ्ट) बिल

क्या हैं?

- बिल सरकार तथा भारत और विदेश में निगमित निजी एंटिटीज (डेटा फिड्यूशरीज) द्वारा लोगों के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करता है। व्यक्ति (डेटा प्रिंसिपल) की सहमति, या आपात स्थिति में, या सरकार द्वारा लाभ वितरण हेतु प्रोसेसिंग की अनुमति है।
- बिल स्पष्ट करता है (i) 'पर्सनल डेटा' कोई ऐसी सूचना है जो व्यक्तिगत पहचान प्रदान करती है, (ii) डेटा 'प्रोसेसिंग' एक ऐसा कार्य है जिसमें डेटा को इकट्ठा करना, उसका मैन्यूपुलेशन, शेयरिंग या स्टोरेज शामिल हैं, (iii) 'डेटा प्रिंसिपल' वह व्यक्ति है जिसके पर्सनल डेटा को प्रोसेस किया जाता है, (iv) 'डेटा फिड्यूशरी' वह एंटिटी या व्यक्ति है, जो डेटा प्रोसेसिंग के प्रकार और उद्देश्यों को तय करता है, और (v) 'डेटा प्रोसेसर' वह एंटिटी या व्यक्ति होता है जो फिड्यूशरी की ओर से डेटा को प्रोसेस करता है।
- बिल में डेटा प्रोसेसिंग के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी गई है जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, कानूनी बाध्यताओं के लिए या पत्रकारिता के उद्देश्यों के लिए डेटा प्रोसेस करना।
- बिल में अपेक्षा की गई है कि पर्सनल डेटा की एक सर्विंग कॉपी भारत के राज्य क्षेत्र में स्टोर की जाएगी। कुछ महत्त्वपूर्ण पर्सनल डेटा को सिर्फ देश में स्टोर किया जाएगा।
- डेटा फिड्यूशरीज को सुपरवाइज और रेगुलेट करने के लिए बिल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (डीपीए) का गठन किया गया है।
- डेटा फिड्यूशरी से यह अपेक्षा की गई है कि अगर डेटा के अतिक्रमण (ब्रीच) से किसी को नुकसान होने की आशंका है तो वह डीपीए को इस अतिक्रमण की सूचना देगा। संभव है कि किसी अतिक्रमण की सूचना देना है अथवा नहीं, इस संबंध में हितों का टकराव हो। चूँकि डीपीए अनेक मानदंडों के आधार पर फिड्यूशरी का रेगुलेशन और मूल्यांकन करती है। इसमें डेटा अतिक्रमण के मामले भी शामिल हैं।

CCPA कैलिफोर्निया के उपयोगकर्ताओं को क्या अधिकार देता है?

उनके पास यह देखने का अधिकार है कि कंपनियाँ उनके बारे में कौन-सी व्यक्तिगत सूचना एकत्र कर रहे हैं और इनके द्वारा किए जा रहे डाटा संग्रह का उद्देश्य क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है। व्यक्तिगत जानकारी उस जानकारी को संदर्भित करती है जिसे उपयोगकर्ता से वापस जोड़ा जा सकता है।

वे अनुरोध कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कंपनियाँ उनके बारे में क्या निष्कर्ष निकालती हैं, साथ ही इन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में विवरण जानने का भी अधिकार है कि इनके डाटा को कौन-से तीसरे पक्ष को बेचा गया है।

उपयोगकर्ता कंपनियों से अपनी व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के लिए कह सकते हैं और अपने डेटा को तीसरे पक्ष को बेचने का विकल्प चुन सकते हैं। कानून कुछ अपवादों को पूरा करता है, जैसे कि लेनदेन को पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी, सेवा प्रदान करना, उपभोक्ता सुरक्षा की रक्षा करना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना।

उपयोगकर्ता मुफ्त में एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। कंपनियों को 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा को तीसरे पक्ष को बेचने के लिए इनके माता-पिता से अनुमति लेनी होगी।

कानून किन कंपनियों पर लागू होता है?

यह कानून केवल 25 मिलियन डॉलर से अधिक के सकल वार्षिक राजस्व वाले कंपनियों पर, कैलिफोर्निया में 50,000 या अधिक उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी खरीदने, प्राप्त करने या बेचने वाले पर, या जो उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को बेचने से उनके वार्षिक राजस्व का आधे से अधिक प्राप्त करते हैं, उन पर लागू होता है।

यह कानून न सिर्फ केवल उन कंपनियों पर लागू होता है जो राज्य में स्थित हैं बल्कि कैलिफोर्निया वासियों की जानकारी एकत्र करने वाले कंपनियों पर भी लागू होता है।

अनजाने में किए गए गैर-अनुपालन में प्रति उल्लंघन पर + 2,500 का जुर्माना लगेगा, जानबूझकर

अन्य प्रमुख बिंदु

- बिल पत्रकारिता, शोध या कानूनी प्रक्रिया जैसे उद्देश्यों के लिए छूट की अनुमति देता है। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या इन कारणों से किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। क्या ये उद्देश्य इतने आवश्यक हैं और निजता के अधिकार के उल्लंघन के अनुपात में हैं।
- सरकार से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि लाभ या सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति की सहमति हासिल करे। यह अस्पष्ट है कि यह छूट केवल सरकार की कल्याणकारी सेवाओं तक सीमित क्यों नहीं है, जैसा कि जस्टिस श्रीकृष्ण कमिटी की रिपोर्ट में प्रस्तावित है।
- कानून प्रवर्तन करने वाली संस्थाओं को डेटा आसानी से हासिल हो जाए, इसके लिए बिल में यह अनिवार्य किया गया है कि भारत में पर्सनल डेटा की एक कॉपी को स्टोर किया जाए। कुछ मामलों में यह उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता, जैसे अगर फिड्यूशरी किसी दूसरे देश में पंजीकृत हो।

क्या है डाटा प्रोटेक्शन?

- किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा को जमा करने और उसका उपयोग करने के दौरान उसकी निजता का कम से कम उल्लघंन हो, इसके लिए बनी नीतियों और प्रक्रियाओं को डेटा प्रोटेक्शन कहा जाता है।
- भारत में नागरिकों के पर्सनल डेटा या सूचना के उपयोग को इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के सेक्शन 43 ए के अंतर्गत इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (उपयुक्त सुरक्षा पद्धति एवं प्रक्रियाएँ तथा संवेदनशील डेटा या सूचना) नियम द्वारा रेगुलेट किया जाता है।

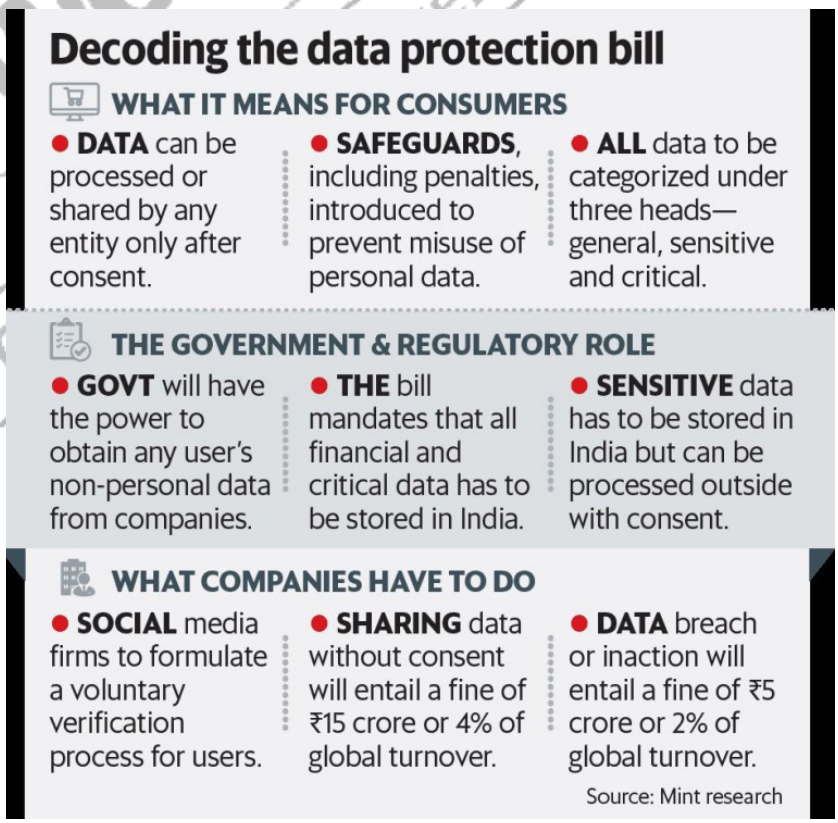

किये गए गैर-अनुपालन में प्रति उल्लंघन पर + 7,500 का जुर्माना लगेगा।

कुछ अध्ययनों के अनुसार, शुरू में मानकों को पूरा करने के लिए कंपनियों पर + 55 बिलियन का खर्च आएगा, जिनमें से अगले एक दशक में 16 बिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे।

एक अध्ययन में कहा गया है कि कानून 12 अरब डॉलर की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करता है, जिसका उपयोग हर साल कैलिफोर्निया में विज्ञापन के लिए किया जाता है।

व्यावहारिक रूप में क्या बदल गया है?

1 जनवरी को यह कानून लागू हो गया, लेकिन कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने अभी तक इस अधिनियम को लागू नहीं किया है। नियमों को अंतिम रूप देने के बाद या 1 जुलाई को अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई करने की अनुमति दी जाएगी।

कई बड़ी कंपनियों ने अनुपालन के लिए नई बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की है। Google ने Google Analytics को डेटा एकत्र करने से रोकने के लिए Chrome एक्सटेंशन लॉन्च किया। फेसबुक ने कहा है कि कानून उन पर लागू नहीं होता है क्योंकि वे डेटा की बिक्री नहीं करते हैं और उनके पास पहले से ही ऐसी विशेषताएँ हैं जो कानून का पालन करती हैं (जैसे कि एक उपकरण जो उपयोगकर्ताओं को उनकी जानकारी तक पहुँचने और हटाने की अनुमति देता है)।

यह गैर-कैलिफोर्निया वासियों को कैसे प्रभावित करता है?

सबसे पहला, अब भारतीय कंपनियाँ जिनके पास कैलिफोर्निया में ग्राहक हैं, को भी इस कानून का पालन करना होगा।

दूसरा, कई फर्मों को कैलिफोर्निया से उपयोगकर्ताओं को अलग करने की कोशिश करने के बजाय सभी उपयोगकर्ताओं के लिए कानूनी बदलाव करना आसान लग रहा है। Microsoft सभी अमेरिकियों के लिए परिवर्तन करेगा और मोजिला (जो फायरफॉक्स ब्राउजर का मालिक है) अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए परिवर्तन करेगा। यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) ने भी पूरी यूरोपीय इंटरनेट अर्थव्यवस्था को स्थानांतरित कर दिया।

पृष्ठभूमि

- 2012 में सर्वोच्च न्यायालय में आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि यह व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके बाद अगस्त, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला दिया कि निजता का अधिकार भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार है।
- न्यायालय ने कहा कि संविधान द्वारा निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अभिन्न अंग के तौर पर संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय ने यह भी कहा कि 'सूचनागत निजता', या पर्सनल डेटा और तथ्यों की निजता, निजता के अधिकार का अनिवार्य पहलू है।

जस्टिस बी.एन.श्रीकृष्ण समिति

- विश्व के अनेक देशों ने सूचनाओं की प्रोसेसिंग के संबंध में व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएँ हैं।
- 3 जुलाई 2017 में जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमिटी की स्थापना की गई थी। जिसके निम्नलिखित कार्य थे (i) भारत में डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जाँच करना, (ii) उन्हें लक्षित करने के तरीके सुझाना, और (iii) ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल का सुझाव देना।
- 27 जुलाई, 2018 को इस ड्राफ्ट बिल को इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सौंपा गया। बिल पर्सनल डेटा के संबंध में व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करने, पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करने वाली एंटिटीज के लिए डेटा प्रोसेसिंग के नियम निर्दिष्ट करने और डेटा प्रोसेसिंग की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए रेगुलेटरी संस्था बनाने का प्रयास करता है।

कैलिफोर्निया अक्सर कानून के लिए एक नव परिवर्तन लाने वाला प्रांत रहा है, जो अन्य राज्यों और यहाँ तक कि अन्य देशों को समान नियमों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अमेरिका में ही कांग्रेस के माध्यम से कई नए डेटा गोपनीयता बिलों को द्विदलीय समर्थन प्राप्त है।

अधिनियम की आलोचनाएँ?

अधिनियम उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा की बिक्री को रोकने का अधिकार तो देता है, लेकिन अपने डेटा के संग्रह का नहीं, इसलिए जब यह डेटा प्रणाली में स्थापित हो जाता है, तो यह फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को बहुत प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ये अपना अधिकांश पैसा डेटा इकट्ठा करके कमाते हैं, न कि इसे बेचकर। विज्ञापनदाता डेटा के आधार पर उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन लक्षित करने के लिए फेसबुक को भुगतान करते हैं, वे फेसबुक के पास संग्रहित डेटा के लिए भुगतान नहीं करते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि यह अधिनियम उपयोगकर्ताओं पर इस जटिल अर्थव्यवस्था को नेविगेट करने का बोझ डालता है। विशेषज्ञों ने द वर्ज को बताया कि GDPR की तुलना में CCPA के साथ अनुपालन चुनौतियाँ अधिक होंगी।

यह अधिनियम भारत के प्रस्तावित डेटा संरक्षण बिल के साथ कैसे तुलनात्मक है?

इनमें से कई अधिकार भारत के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में भी हैं। इनमें आपके डेटा की एक कॉपी एक्सेस करने और डिलीट करने का भी अधिकार शामिल है। भारत का बिल कुछ सुधारात्मक अधिकार सहित कुछ अन्य मामलों में आगे बढ़ता है। हालाँकि, भारत का बिल संग्रह उपयोगकर्ताओं के अधिकारों पर अधिक केंद्रित है, जबकि कैलिफोर्निया का अधिनियम उपयोगकर्ता के डेटा को तीसरे पक्ष के साझाकरण और बिक्री पर अधिक केंद्रित है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गूगल ने गूगल एनालिटिक्स को डेटा एकत्र करने से रोकने के लिए क्रोम एक्सटेंशन लॉन्च किया है।
2. यू.एस. के फ्लोरिडा प्रांत ने 1 जनवरी 2020 से डेटा गोपनीयता कानून लागू किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements:

1. Google has launched Chrome Extension to prevent Google Analytics from collecting data.
2. Frlorid Province of US has implemented data privacy law with effect from 1 January 2020.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट : 6 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'हाल ही में आया कैलिफोर्निया का डेटा सुरक्षा अधिनियम जहाँ उपयोगकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है वहीं भारतीय डेटा सुरक्षा विधेयक सरकार को अधिक सशक्त करता दिखाई पड़ता है।' इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Recently, introduced Data Protection act of California gives more freedom to the user, while the Indian data security bill seems to be more empowering to the government. To what extent you agree with this statement. Discuss. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।